

फुटवियर नीति से यूपी को नई रफ्तार नॉन लेदर सेक्टर भी होगा मजबूत

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने यूपी को फुटवियर, लेदर और नॉन-लेदर उत्पादों का वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के उद्देश्य से फुटवियर, लेदर एवं नॉन-लेदर क्षेत्र विकास नीति-2025 लागू की है। नीति में निवेश, निर्यात, रोजगार सृजन, कौशल विकास और तकनीकी उन्नयन पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य इस क्षेत्र में करीब 22 लाख रोजगार सृजित करना है।

आगरा, कानपुर और उन्नाव के साथ-साथ पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड में भी औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। अनुपूरक बजट में इस क्षेत्र के लिए एक लाख रुपये का प्रतीकात्मक प्रावधान किया गया है। आवश्यकता के अनुसार अन्य मदों से राशि दी जाएगी। प्रदेश में यह उद्योग अभी 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक का है, जबकि निर्यात का आकार



अनुपूरक बजट में प्रतीकात्मक प्रावधान, जरूरत के मुताबिक अन्य मदों से मिलेगी धनराशि

करीब नौ हजार करोड़ है। फुटवियर निर्माण में उपयोग होने वाले 32 प्रकार के कंपोनेंट्स में से ज्यादातर का आयात चीन से होता है।

लेदर और नॉन-लेदर फुटवियर के साथ-साथ बकल, जिप, सोल, इनसोल, लेस, हील, धागा, टैग, लेबल, रसायन और रंग बनाने वाली सहायक इकाइयों के अलावा फुटवियर एवं लेदर मशीनरी निर्माण इकाइयों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।

सरकार समर्पित लेदर पार्क, साझा सुविधा

केंद्र, अपशिष्ट उपचार संयंत्र, प्रशिक्षण केंद्र तथा कम से कम 10 उत्कृष्टता केंद्र विकसित करेगी। मेगा एंकर इकाइयों को अधिकतम एक हजार करोड़ रुपये तथा क्लस्टरों को 1,500 करोड़ रुपये तक की सहायता दी जाएगी। पूर्वांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड में भूमि लागत पर मेगा एंकर इकाइयों एवं क्लस्टरों को 80 प्रतिशत, जबकि अन्य पात्र इकाइयों को 35 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। रोजगार बढ़ाने वाली इकाइयों को पांच वर्ष तक नियोक्ता के ईपीएफ अंशदान की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। प्रशिक्षण में सामान्य अभ्यर्थियों को अधिकतम 15 हजार रुपये और महिलाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति व दिव्यांगों के लिए 20 हजार रुपये तक सहायता दी जाएगी। एक हजार से अधिक रोजगार देने वाली इकाइयों को पांच वर्ष तक प्रति यूनिट बिजली पर दो रुपये की सहायता भी मिलेगी। ब्यूरो